भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2622

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक)

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और ऋण प्रवाह

2622. श्री बाबू राम निषादः

श्रीमती माया नारोलियाः

श्री नरेश बंसलः

डा. दिनेश शर्माः

श्री शंभू शरण पटेलः

श्री कणाद पुरकायस्थः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजकोषीय एकल खाता, एकल नोडल एजेंसी, केंद्रीय नोडल एजेंसी और एस.एन.ए-स्पर्श के कार्यान्वयन से निधि प्रवाह तंत्र में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजकोषीय एकल खाता, एकल नोडल एजेंसी, केंद्रीय नोडल एजेंसी और एस.एन.ए-स्पर्श के माध्यम से निष्क्रिय निधियों को कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से प्राप्त बचतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) और (ग) : एसएनए और सीएनए मॉडलों ने अनेक बैंक खातों के स्थान पर ज़ीरो बैलेंस सब्सीडियरी खातों (ज़ेडबीएसए) द्वारा समर्थित एक एकल नोडल खाते की स्थापना करके निधि के प्रवाह को सुगम बनाया है। इससे सरकारी योजनाओं के अंतर्गत रख-रखाव किए गए बैंक खातों की संख्या में काफी कमी आयी है, जिससे निधियों के आवागमन पर नजर रखना, पारदर्शिता में सुधार करना तथा पीएफएमएस के माध्यम से वास्तविक समय में निधि के उपयोग की निगरानी करना आसान हो गया है।

राजकोषीय एकल खाता और एसएनए स्पर्श ने अग्रिम निधि रिलीज के स्थान पर जस्ट-इन-टाइम (जेआईटी) भुगतान तंत्र को प्रतिस्थापित करके निष्क्रिय रूप से जमा सरकारी निधियों को कम किया है। वास्तविक भुगतान के बकाया रहने तक निधि सरकारी खाते में रहती है, जिससे नकद प्रबंधन में सुधार हो रहा है, पारदर्शिता में वृद्धि हो रही है, फ्लोट और उधार लागत में कमी आ रही है और सार्वजनिक निधि का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

(घ) : एसएनए, एसएनए स्पर्श, सीएनए और टीएसए मॉड्यूलों के माध्यम से उन्नत निधि प्रवाह प्रबंधन से निष्क्रिय रूप से जमा निधियों को कम करते हुए निधि का ईष्टतम उपयोग करने में सहायता मिलती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एसएनए स्पर्श के तहत मुख्य स्वीकृति की जारी कुल राशि 115243.29 करोड़ रुपए थी तथा जारी कुल केंद्रीय हिस्सा 114615.30 करोड़ रुपए था।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, टीएसए/टीएसए हाइब्रिड के अंतर्गत, जारी कुल समनुदेशन 523946.40 करोड़ रुपए था और समनुदेशन के सापेक्ष कुल 509650.88 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। अतएव, आवश्यकतानुसार बजट का उपयोग किया गया तथा अप्रयुक्त समुनदेशन/मुख्य स्वीकृतियां बैंक खातों में जमा नहीं हैं।
